




आयकर आयुक्त -II का कार्यालय, कोल्हापुर  
 "आयकर भवन", 31, सी/2, ताराबाई पार्क, कोल्हापुर

फा. सं. को./आ. आ.-I/तकनिकी-I/80छ (80G)/ 16-34/11-12 दिनांक 01-05-2012

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 जी के अधिन



**मान्यता प्रमाणपत्र**


दानकर्ताओं द्वारा "श्री स्वामी विवेकानंद शिक्षण संस्था,

कोल्हापुर

को दिये गये दान आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 जी (80G) में विहित शर्तों और सीमाओं के अधिन कर राहत के लिए पात्र होंगे।

2. यह प्रमाणपत्र दिनांक 01-04-2012 से वैध है तथा इस कार्यालय द्वारा मान्यता वापस लेने तक वैध रहेगा।
3. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139(4क) [139(4A)] व आयकर नियमावली 1962 के नियम 12 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

दिनांक : 01-05-2012  
 कोल्हापुर



हस्ताक्षर  
 ( पुष्पलता श्रीवास्तव )  
 आयकर आयुक्त -II, कोल्हापुर

प्रतिलिपी :

म. संस्था श्री स्वामी विवेकानंद शिक्षण संस्था, 31/2 ई,  
ताराबाई पार्क, कोल्हापुर.

2. संयुक्त आयकर आयुक्त रेंज - 2, कोल्हापुर

*(Signature)*  
**मुख्याध्यापक**  
 श्री रवींद्रनाथ टागोर विद्यालय, बीर  
 वा.पुरा, जि. पुणे.